भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2527
13 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

तमिलनाडु में अमृत मिशन

†2527. श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत इसके आरंभ से अब तक कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है;

(ख) कितनी परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और वर्तमान में कितनी परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं और उनके पूरा होने की संभावित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अमृत-2.0 के अंतर्गत किन्हीं नए सुधारों अथवा संशोधनों का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अमृत शहरों में शहरी जलापूर्ति और मल-जल व्यवस्था में सुधार लाने में अमृत मिशन ने किस प्रकार योगदान दिया है और इसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने अमृत के कार्यकरण की समीक्षा की है और यदि हां, तो अमृत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान तमिलनाडु में अमृत के अंतर्गत जल और सीवर कनेक्शन की विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) : आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसे देश भर के चयनित 500 शहरों (अब 15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। अमृत पोर्टल पर तमिलनाडु सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अमृत के तहत राज्य में 445 परियोजनाएँ शुरू की गई हैं और इन परियोजनाओं के लिए 13,339 करोड़ रु. की धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें 4,756.68 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता (सीए)

शामिल है। इन परियोजनाओं में से 7,810.68 करोड़ रु. की लागत वाली 433 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं और 5,528.75 करोड़ रु. की लागत वाली 12 परियोजनाओं का कार्यान्वयन चल रहा है। कुल 12,637.60 करोड़ रु. के कार्य भौतिक रूप से पूरे हो चुके हैं। राज्य सरकार ने आगे यह सूचना दी है कि परियोजना पूर्ण करने की संभावित तारीख जून 2025 है।

(ग): सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में 01 अक्टूबर, 2021 को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) 2.0 योजना को शुरू किया गया है, जिससे शहर 'आत्मनिर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकेंगे। इस मिशन का उद्देश्य सभी सांविधिक कस्बों के परिवारों को जल-नल कनेक्शन उपलब्ध कराना है। 500 अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना अमृत 2.0 के प्रमुख कार्य क्षेत्रों में से एक है। जलाशयों का पुनरुद्धार, हरित क्षेत्रों और पार्कों का विकास, आदि मिशन के अन्य घटक हैं। इस मिशन में सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी), स्टार्ट-अप के माध्यम से नवीनतम प्रौद्योगिकियों को अपनाने और शहरों के लिए एक्वीफर प्रबंधन योजनाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मिशन के सुधार एजेंडे में शहरी जल की कुल मांग के कम से कम 20% को पूरा करने के लिए पुनर्चक्रित शोधित प्रयुक्त जल के उपयोग; 'नल से जल' (डीएफटी) सुविधा के साथ 24x7 जल आपूर्ति; शहरों के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित मास्टर प्लान और नगरपालिका बांड जारी करके धन जुटाने के प्रावधान शामिल हैं।

अमृत 2.0 के तहत, जल मांग प्रबंधन, जल गुणवत्ता परीक्षण, जल अवसंरचना संचालन और अन्य जल क्षेत्र संबंधी परियोजनाओं में महिला स्वयं सहायता समूहों को सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए अमृत मित्र पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत अब तक 140 करोड़ रु. की लागत वाली 1762 परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं।

जल ही अमृत योजना को अमृत 2.0 सुधारों के तहत एक उप-योजना के रूप में शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण मानकों को पूरा करने वाले पुनर्चक्रित करने योग्य शोधित जल के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने हेतु राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना है। इस उप-योजना का प्रमुख कार्य क्षमता निर्माण करना और शोधित अपशिष्ट प्रवाह में गुणात्मक सुधार को प्रोत्साहित करना है।

अमृत 2.0 के तहत 75 शहरों में शैलो एक्विफर मैनेजमेंट (एसएएम) 2.0 की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य एक्विफर प्रबंधन को व्यापक शहरी नियोजन में एकीकृत करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शहरों के विकास के साथ भूजल संसाधनों का स्थायी प्रबंधन किया जा सके। प्रमुख कार्यक्रमों में नई पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण और निष्क्रिय पुनर्भरण संरचनाओं का पुनरुद्धार, वर्षा जल संचयन प्रणालियों का कार्यान्वयन,

क्षेत्रीय भूजल पुनर्भरण के लिए जलग्रहण स्तर में सुधार और व्यापक शहर-व्यापी भूजल प्रबंधन योजनाओं का विकास शामिल हैं।

स्टार्ट-अप विचारों, निजी उद्यमिता को प्रोत्साहित तथा उन्हें प्रायोगिक परियोजनाओं में शामिल करने के लिए प्रौद्योगिकी उप-मिशन अमृत 2.0 का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह उप मिशन जल और प्रयुक्त जल शोधन, वितरण और जलाशयों का पुनरुद्धार क्षेत्र में नवीन, सिद्ध और संभावित पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों की पहचान करने में सुविधा प्रदान करता है। डीपीआईआईटी की "स्टार्ट-अप इंडिया" पहल द्वारा दी गई परिभाषा को पूरा करने वाले स्टार्ट-अप इसमें भाग लेने के पात्र हैं। अमृत 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार, 20 लाख रूपए तक की लागत वाली स्टार्ट-अप परियोजनाओं को राज्य जल स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें राज्य मिशन निदेशक, तकनीकी संस्थान के प्रतिनिधि और/या जल क्षेत्र के पेशेवर शामिल होते हैं। अनुमोदित परियोजनाओं को शुरू करने के लिए संबंधित यूएलबी द्वारा आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। 20 लाख रूपए से अधिक लागत वाली महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की स्टार्ट-अप परियोजनाओं को राष्ट्रीय जल स्टार्ट-अप स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसमें आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सीपीएचईईओ के प्रतिनिधि और जल क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं।

(घ) अमृत मिशन के अंतर्गत राज्यों के साथ तालमेल करते हुए 139 लाख के लक्ष्य की तुलना में 189 लाख जल नल कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) प्रदान किए गए हैं; 145 लाख के लक्ष्य की तुलना में 149 लाख सीवर कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए परिवारों सहित) प्रदान किए गए हैं; 19,598 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क और 64,463 किलोमीटर का जलापूर्ति नेटवर्क निर्मित किया गया है; 4,447 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवरेज शोधन क्षमता (एसटीपी) और 4,734 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) जल शोधन क्षमता (डब्ल्यूटीपी) विकसित की गई है; 1,434 किलोमीटर लम्बी जल निकासी नालियों का निर्माण किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 3,708 स्थानों पर जलभराव की समस्या का समाधान कर दिया गया है: 5,086 एकड़ हरित क्षेत्र, 430 किलोमीटर पैदल मार्ग/पथ और 43 किलोमीटर साइकिल ट्रैक विकसित किए गए हैं।

(ङ.) अमृत मिशन के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाएं लंबी अवधि की बड़ी अवसंरचना परियोजनाएं हैं। अमृत दिशानिर्देशों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करने के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) के गठन का प्रावधान है। शहरी विकास और आवास विभाग के सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) राज्य स्तर पर योजना की निगरानी और पर्यवेक्षण में एसएचपीएससी को तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसके अलावा, मिशन दिशानिर्देशों के दायरे में गठित शीर्ष समिति आवधिक

रूप से मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अमृत के तहत किए गए कार्यों का आकलन और निगरानी करने के लिए स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान है। आईआरएमए रिपोर्टों के संतोषजनक अनुपालन के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। इसके अलावा, अमृत के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/क्षेत्रीय दौरों आदि के माध्यम से प्रगति की आवधिक समीक्षा और निगरानी की जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल नल कनेक्शनों के प्रावधानों की प्रगति और परियोजना-वार परिणामों पर नज़र रखने के लिए एक निर्धारित अमृत ऑनलाइन पोर्टल है।

(च) अमृत के अंतर्गत 7,436.02 करोड़ रु. की लागत वाली सभी 18 जलापूर्ति परियोजनाएं और 5,670.8 करोड़ रु. की लागत वाली 18 सीवरेज/सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं पहले ही शुरू की जा चुकी हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में अमृत के तहत कोई भी परियोजना शुरू नहीं हुई है।

अमृत मिशन के अंतर्गत राज्यों के साथ तालमेल करते हुए 16.07 लाख जल नल कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) और 25.20 लाख सीवर कनेक्शन (नए/ठीक किए गए) (फेकल स्लज और सेप्टेज प्रबंधन-एफएसएसएम के माध्यम से शामिल किए गए परिवारों सहित) प्रदान किए गए हैं।

*****